उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-1041/78-1-2020-25/2012
लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है।

2- उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पिछली स्टार्ट-अप नीतियों अर्थात् 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2016' तथा 'उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017-2022' के स्टार्ट-अप्स से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है। हालांकि इस नई नीति की अधिसूचना से पूर्व नीति कार्यान्वयन इकाई/नोडल एजेन्सी द्वारा पूर्व-अनुमोदित मामले, सम्बन्धित पूर्ववर्ती स्टार्ट-अप नीतियों के प्राविधानों से नियंत्रित होंगे। उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020 किसी उद्योग विशेष के लिए नहीं, अपितु समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी होगी।

3- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 6.2 में व्यवस्था है कि इन्क्यूबेर्स को मान्यता, स्टार्ट-अप फण्ड्स की शुरुआत, स्टार्ट-अप आयोजनों के अनुमोदन इत्यादि मामलों में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने सहित नोडल एजेन्सी द्वारा स्टार्ट-अप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यो की देख-रेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) स्थापित की जाएगी।

4- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के स्टार्ट-अप नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन, स्टार्ट-अप फण्ड्स इत्यादि से सम्बन्धित मामलों में निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	कुलपति, अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

5- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा राज्य में स्टार्ट-अप नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन, स्टार्ट-अप फण्ड्स इत्यादि पर निर्णय लिया जायेगा। पी.आई.यू. स्टार्ट-अप नोडल एजेन्सी के माध्यम से स्टार्ट-अप हितधारकों के लिए प्रोत्साहनों हेतु अनुमोदन एवं संस्तुतियां देने हेतु भी उत्तरदायी होगी। यह उनकी शिकायतों का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगी। जब और जैसी आवश्यकता हो, अग्रेतर विचार-विमर्श तथा निर्णय लिए जाने हेतु पी.आई.यू. द्वारा प्रकरण को नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) को सन्दर्भित किया जा सकता है।

6- पी.आई.यू. के दायित्वों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों, स्टार्ट-अप हितधारकों की ऑनबोर्डिंग, कारपोरेट्स के साथ सम्बद्धता, नीति को प्रोत्साहन सम्मिलित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है।

7- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 122/78-1-2018-127/2012 दिनांक 29 जनवरी 2018 को प्रस्तुत कार्यालय ज्ञाप के आलोक में पढ़ा जाए।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1041(1)78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 समिति के समस्त सदस्यगण।
2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6 प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयक्त सचिव।